दि.वि.प्रा.

फीस बिल

नीति

2022

मद सं.34/2022

मिसिल सं: लॉ/एफ7/0004/2022/पी.एस./मिस.ओ./ओ.सी.एल.ए.

उच्च न्यायालय- स्टेंडिंग काउंसेल, एडीशनल स्टेंडिंग काउंसेल, सीनियर स्टेंडिंग काउंसेल एवं एडीशनल सीनियर स्टेंडिंग काउंसेल	
कार्य का प्रकार	**देय फीस**
स्टेंडिंगकाउंसेलकेलिए**मासिक**रिटेनरशिप	9000/- रू. प्रति माह
स्टेंडिंगकाउंसेल की सुनवाई वार देय फीस पेश होनाः उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन याचिकाएँ/आवेदनों सहित वाद, रिट याचिकाएँ और अपील (सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में लागू)	9000/- रू. (प्रति प्रभावी सुनवाई) 1500/- रू. (प्रति अप्रभावी सुनवाई अधिकतम 5 सुनवाइयों की शर्त के अधीन) प्रति केस

कार्य का प्रकार	**देय फीस**
एडीशनल स्टेंडिंग काउंसेल को सुनवाई वार देय फीस	5000/- रु. (प्रति प्रभावी सुनवाई) अधिकतम 30,000/- रु. प्रति केस की शर्त के अधीन
पेश होनाः उच्च न्यायालय में आवेदनों, पुनरीक्षण याचिकाओं, आवेदनों सहित वाद, रिट याचिकाएँ और अपील	850/- रु. (प्रति अप्रभावी सुनवाई, अधिकतम 5 सुनवाइयों की शर्त के अधीन)
स्टेंडिंग काउंसेल को लिखित कथन, प्रति-शपथपत्र, साक्ष्य/प्रतिदावा आदि के लिए अपील/शपथ-पत्र के कारण सहित प्रति पैरवी (प्लीडिंग) दिए जाने वाले ड्राफ्टिंग चार्जिज	3000/- रु. प्रति केस
स्टेंडिंग काउंसेल को विविध प्रक्रार के अन्य पैरवी चार्जिज अर्थात् उत्तर/आवेदन/कानूनी नोटिस आदि सहित दिए जाने वाले ड्राफ्टिंग चार्जिज	3000/- रु. प्रति केस
क्लर्केज	प्रभावी सुनवाई फीस का 10%क्लर्केज, एक केस अथवा केस के बैच में अधिकतम 1800/- रु. की शर्त के अधीन

कार्य का प्रकार	**देय फीस**
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज	वास्तविक व्यय, व्यय के प्रमाण की शर्त के अधीन
स्पेशल काउंसेल के रूप में स्टैंडिंग काउंसेल	9000/- रु.
कांफ्रेंस चार्जिज	900/- रु. प्रति कांफ्रेंस निम्न शर्तों के अधीन: i) पैरवी (प्लीडिंग) निपटाने हेतु- एक कांफ्रेंस ii) याचिका/वाद/अपील की सुनवाई और उच्चतम न्यायालय की लीव एप्लीकेशन आदिके संबंध में —3 कांफ्रेंस(अधिकतम)

कार्य का प्रकार	**देय फीस**
सीनियर स्टैंडिंग काउंसेल	20,000/- रु. (प्रति प्रभावी सुनवाई) 1875/- रु.(प्रतिअप्रभावीसुनवाई, अधिकतम 5 सुनवाइयों की शर्त के अधीन) प्रति केस
एडीशनल सीनियर स्टैंडिंग काउंसेल	14,000/- रु. (प्रति प्रभावी सुनवाई) 1875/- रु.(प्रतिअप्रभावीसुनवाई, अधिकतम 5 सुनवाइयों की शर्त के अधीन) प्रति केस
क्लर्केज सीनियर स्टैंडिंग काउंसेल और एडीशनल सीनियर स्टैंडिंग काउंसेल	प्रत्येक प्रभावी सुनवाई की फीस का अधिकतम 10 %

उच्च न्यायालय के पैनलबद्ध अधिवक्ताओं हेतु	
कार्य काप्रकार	**देय फीस**
सुनवाई: रिट याचिका (सिविल अथवा क्रिमिनल) सीएम (एम)/आरएफए, आरएसए, एलपीए(सिविल अथवा क्रिमिनल)	2250/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 450/- रु. प्रति अप्रभावी सुनवाई अधिकतम 5 की शर्त के अधीन
रिट याचिकाओं /अपीलों /संशोधनों / रिव्यू /लिखित कथन, प्रति-शपथपत्रों, अपील हेतु आधार /मध्यस्थता मामलों सहित मुकदमों इत्यादि हेतु ड्राफ्टिंग चार्जिज।	1350/- रु. प्रति पैरवी
विविध प्रकार की अन्य पैरवी करना / पैरवी करना /याचिकाओं /अभिवचनों अर्थात् उत्तर /आवेदनों /कानूनी नोटिसों इत्यादि का ड्राफ्टिंग चार्जिज।	1125 /- रु. प्रति याचिका
सीएस (ओएस)/ सीएस (ओएस) कॉम.	एड वालेरम/ रेगुलेशन फीस एक केस में अधिकतम 45000/- रु. की शर्त के अधीन (5 चरणों अर्थात् पैरवी, मुद्दों का निर्धारण, पीई, डीई, अंतिम बहस में समान रूप से देय)

उच्च न्यायालय के पैनलबद्ध अधिवक्ताओं हेतु	
कार्य का प्रकार	**देय फीस**
सीसीपी, एलएए, ट्रांसफर याचिका/प्रोबेट	2250/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 450/-रु. प्रति अप्रभावीसुनवाई के लिए अधिकतम 5 की शर्त के अधीन
रीविजन याचिका (सिविल अथवा क्रिमिनल) समीक्षा याचिका निष्पादन याचिका	2250/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 450/-रु. प्रति अप्रभावीसुनवाई के लिए अधिकतम 5 की शर्त के अधीन
एफएओ, एफएओ (ओएस) ईएफए(ओएस)	2250/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 450/-रु. प्रति अप्रभावीसुनवाई के लिए अधिकतम 5 की शर्त के अधीन
माध्यस्थम आवेदन/ माध्यस्थम याचिका	2250/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 450/-रु. प्रति अप्रभावीसुनवाई के लिए अधिकतम 5 की शर्त के अधीन
माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 एवं 36 के अंतर्गत ओएमपी	2250/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई और450/-रु. प्रति गैर प्रभावी सुनवाई के लिए अधिकतम 5 की शर्त के अधीन

उच्च न्यायालय के पैनलबद्ध अधिवक्ताओं हेतु	
कार्य का प्रकार	**देय फीस**
ओएमपी (एन्फ.)	2250/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई और450/-रु. प्रति अप्रभावीसुनवाई के लिए अधिकतम 5 की शर्त के अधीन
केवियट (क्लर्केज और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज सहित)	3000/-रु.
कॉन्फ्रेंस चार्जिज	450/- रु. प्रति कॉन्फ्रेंस (एककेस में अधिकतम 4 कॉन्फ्रेंसकी शर्त के अधीन)
क्लर्केज	फीस का 10%एककेस में अथवा कई केस के बैच में अधिकतम 1800/- रु की शर्त के अधीन
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज	वास्तविक व्यय, व्यय के प्रमाण की शर्त के अधीन

जिला न्यायालय	
कार्य का प्रकार	**देय फीस** **सी - क्लर्केज** **ई – ऑउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज**
सिविल सूट	1800/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 600/-रु. प्रति अप्रभावीसुनवाई अधिकतम 5की शर्त के अधीन सी –10%एककेस में अधिकतम 5250 की शर्त के अधीन ई –वास्तविक व्यय
भूमि अधिग्रहण संदर्भ (एलएसी केस)	1800/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 600/- रु. अप्रभावीसुनवाई हेतु अधिकतम 5 की शर्त के अधीन सी –10%एककेस में अधिकतम 5250की शर्त की अधीन ई –वास्तविक व्यय

जिला न्यायालय	
कार्य का प्रकार	**देय फीस** **सी - क्लर्केज** **ई – आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज**
प्रोबेट/प्रशासन पत्र/(लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) ट्रांसफर याचिका/एफआईआर/अभिभावकता (गार्जियनशिप) के अंतर्गत केस/ मध्यस्थता/ उत्तराधिकार/ रिव्यू	1800/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 600/- रु. अप्रभावीसुनवाई अधिकतम 5 की शर्त के अधीन सी –10%एक केस में अधिकतम 5250की शर्त के अधीन ई –वास्तविक व्यय
भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत निष्पादन (एक्जीक्यूशन) याचिका	1800/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 600/- रु. अप्रभावीसुनवाई हेतु अधिकतम 5की शर्त के अधीन सी –10% एक केस में अधिकतम 5250की शर्त के अधीन ई –वास्तविक व्यय

जिला न्यायालय	
कार्य का प्रकार	**देय फीस** **सी-क्लर्केज** **ई-आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज**
नियमित सिविल अपील एवं विविध सिविल अपील/उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाने	1800/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 600/- रु. अप्रभावीसुनवाई हेतु अधिकतम 5 की शर्त के अधीन सी-10% एक केस में अधिकतम 5250 की शर्त के अधीन ई-वास्तविक व्यय
निष्पादन (एक्जीक्यूशन) (अवमानना) एल.ए.सी. मामलों के अलावा	1800/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 600/- रु. अप्रभावीसुनवाई हेतु अधिकतम 5 की शर्त के अधीन सी-10% एक केस में अधिकतम 5250 की शर्त के अधीन ई-वास्तविक व्यय

जिला न्यायालय	
कार्य का प्रकार	**देय फीस** **सी-क्लर्केज** **ई-आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज**
जिला फोरम के समक्ष शिकायत/मोटर वाहन अधिनियम के दावे, श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण/रेलवे दावा अधिकरण के समक्ष केस/किराया अधिकरण/डी.आर.टी/डी.आर.टी. अपील.वित्त आयुक्त. आर.ई.आर.ए. (रेरा)/एस.सी./एस.टी./अल्पसंख्यक/महिला/शिकायत आयोग/दिव्यांग जन आयोग/उपभोक्ता फोरम/राज्य आयोग/उपभोक्ता फोरम/राज्य आयोग/सत्र न्यायाशीश के समक्ष आपराधिक अपील और आपराधिक रिवीजन।	1800/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 600/- रु. अप्रभावीसुनवाई हेतु अधिकतम 5 की शर्त के अधीन सी-10% एक केस में अधिकतम 5250 की शर्त के अधीन ई-वास्तविक व्यय

जिला न्यायालय	
कार्य का प्रकार	**देय फीस** **सी-क्लर्केज** **ई-आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज**
दि.मु.यो. के अंतर्गत अभियोजन (प्रवर्तन शिकायतें)	5400/- रु. + 10%सी + 338/- रु. ई
दि.मु.यो. के अंतर्गत अभियोजन में अपील/रिवीजन	5400/- रु. + 10%सी+ 338/- रु. ई
दिल्ली नगर निगम अपील अधिकरण के समक्ष अपील तथा पीपी एक्ट के अंतर्गत अपील	1800/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 600/- रु. अप्रभावी सुनवाई हेतु अधिकतम 5 की शर्त के अधीन सी-10% एक केस में अधिकतम 5250 की शर्त के अधीन ई-वास्तविक व्यय
माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत मध्यस्थता एप्लीकेशन/ याचिका	1800/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई 600/- रु. अप्रभावी सुनवाई हेतु अधिकतम 5 की शर्त के अधीन सी-10% एक मामले में अधिकतम 5250 की शर्त के अधीन ई-वास्तविक व्यय

जिला न्यायालय	
कार्य का प्रकार	**देय फीस** **सी-क्लर्केज** **ई-आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज**
मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही	2250/- रु. प्रति प्रभावी सुनवाई हेतु 450/- रु. अप्रभावीसुनवाई हेतु
श्रम सुलह अधिकारी/एसी-I ग्रेड के समान/एडीएम/एसडीएम न्यायालय आदि के समक्ष कार्यवाही।	5400/- रु. + 10%सी + 675/- रु. ई दो चरणों में देय i. पैरवी के समय ii. अंतिम निपटान के समय

जिला न्यायालय	
कार्य का प्रकार	**देय फीस**
क्लर्केज	विविध आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज के अलावा कुल फीस का 10 प्रतिशत (एक केस में अधिकतम 5250/-.रु)
लिखित बयानों, अपीलों के आधार आदि के लिए ड्राफ्टिंग चार्जिज।	1500/- रु. प्रति पैरवी
अन्य विविध प्रकार की पैरवी हेतु ड्राफ्टिंग चार्जिज)	600/- रु. प्रति पैरवी
कांफ्रेंस फीस	900/- रु.(एक केस/समान केस के ग्रुप में अधिकतम 5 ऐसी कांफ्रेंस की शर्त के अधीन)
केवियट (क्लर्केज एवं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपैंसिज सहित)	3000/- रु.

भारतीय उच्चतम न्यायालय	
कार्य का प्रकार	**देय फीस** **सी- क्लर्केज** **ई- आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज**
एसएलपी/रिट याचिका/अपील	प्रति केस प्रति दिन 13500/- रु. सभी नियमित अपीलों और अंतिम सुनवाई के लिए डिफेंडिड रिट हेतु
विविध आवेदन हेतु फीस	4500/- रु. प्रति केस
रिव्यू याचिका	4500/- रुपए प्रति केस प्रतिदिन
केवियट (क्लर्केज एवं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज सहित)	3000/- रुपए प्रति केस

भारतीय उच्चतम न्यायालय	
कार्य का प्रकार	**देय फीस** **सी- क्लर्केज** **ई- आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज**
क्यूरेटिव याचिका	4500/- रु. प्रति केस प्रति दिन
अवमानना याचिका/ट्रांसफर याचिका	4500/- रु. प्रति केस प्रति दिन
कांफ्रेंस चार्जिज	900/- रु. प्रति केस कांफ्रेंस
ड्राफ्टिंग चार्जिज एसएलपी/काउंटर एफिडेविट/री-ज्वाइंडर/रिटन सबमिशन	3000/- रु. प्रति केस
रिव्यू/अवमानना याचिका सहित विविध प्रकार की अन्य याचिकाओं के लिए ड्राफ्टिंग चार्जिज	3000/- रु. प्रति केस

ट्रिब्यूनल/कमीशन/फोरम	
कार्य का प्रकार	**देय फीस**
एनजीटी/एनसीडीआरसी/सीसीआई/इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल आदि	2250/- रुपए प्रभावी सुनवाई हेतु 450/-रुपएअप्रभावीसुनवाई हेतु (अधिकतम 5 की शर्त के अधीन)
कैट	2250/- रुपए प्रभावी सुनवाई हेतु 450/-रुपएअप्रभावीसुनवाई हेतु (अधिकतम 5 की शर्त के अधीन)

वरिष्ठ एडवोकेट की फीस (प्रत्येक पेशी पर)

कार्य का प्रकार	**देयफीस**
भारीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष	75000/- रुपए
दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष	56,250/- रुपए
कांफ्रेंस चार्जिज	27000/-रुपए (अधिकतम तीन कांफ्रेंस की शर्त के अधीन)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

विधि विभाग

नोट्स

1. मुख्य विधि सलाहकार (सीएलए)केस की प्रकृति/गंभीरता को देखते हुए अधिकतम 5 लाख रूपए प्रति उपस्थिति/प्रति राय और +75000/- रुपए प्रति कांफ्रेंस तथा 10% क्लर्केज तक ए/जी, एस/जी, एएसजी को इंगेज/नियुक्त कर सकते हैं ।

2. मुख्य विधि सलाहकार (सीएलए) अधिकतम 4 लाख रूपए प्रति उपस्थिति/प्रति राय और 50,000/- रुपए प्रति कांफ्रेंस तथा अन्य वास्तविक व्यय के साथ 10% क्लर्केज तक सीनियर एडवोकेट/अथवा किसी काउंसेल को विशेष काउंसेल के रूप में नियुक्त/इंगेज कर सकते हैं ।

3. एलएसी मामलों/एलएसी निष्पादन मामलों को पृथक मामलों के रूप में लिया जाएगा ।

4. अपील, अवमानना, निष्पादन मामलों में जवाब दायर करना अनिवार्य नहीं है ।

5. यदि विशेष प्रयास किए गए हों अथवा बड़े पैमाने पर किया गया हो, उस स्थिति में सीएलए उपयुक्त रूप से फीस को बढ़ा सकते हैं ।

6. सीएलए, मामले की प्रकृति/गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी काउंसेल को पैनल एडवोकेट सहित विशेष काउंसेल के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और प्रभावी सुनवाई हेतु अधिकतम 6500/-रुपए प्रति उपस्थिति तथा अधिकतम 1100/-रुपए प्रति कांफ्रेंस (अधिकतम 4 कांफ्रेंस की शर्त पर) का कांफ्रेंस चार्ज, 10%क्लर्केज+अन्य व्यय तक फीस का निर्धारण कर सकते हैं।

7. वास्तविक व्यय को सीएलए द्वारा संस्वीकृत किया जा सकता है ।

8. यदि निर्णीत मामलों में कोई सी.एम./आई.ए. आवेदन किया जाता है, तो इसे नए मामले के रूप में माना जाएगा ।

9. यदि पी/एल को कोई मामला सौंपा जाता है जहां डीडीए को गवाह के रूप में केवल समन किया गया हो तो केवल 1100/-रुपए की फीस/एडिशनल फीस देय होगी ।

10. ऐसे मामले में जहां डीडीए के काउंसेल द्वारा यूओआई/अन्य विभाग के साक्ष्य को डीडीए के हित में अंगीकृत किया गया हो, उस विशिष्ट स्तर/सुनवाई के लिए फीस देय होगी।

11. ऐसे मामले जो तकनीकी आधार जैसे सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 आदि के अनुसार खारिज किए/निपटान किए जाते हैं, तो उस स्थिति में पी/एल सुनवाई हेतु उसफीस का हकदार होगा जिसपर निपटान किया गया हो ।

12. निरीक्षण करवाने/आवेदन करने हेतु और प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने के लिए फीस प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने हेतु वहन किए गए वास्तविक व्यय सहित 1100/-रुपए होगा।

13. पी/एल उस विशिष्ट स्तर/सुनवाई की फीस का हकदार होगा जिसके लिए प्राधिकरण के हित में उसके सहायक/प्रॉक्सी उस मामले में उपस्थित हुए हों, हालांकि यह हमेशा वांछनीय होगा कि न्यायालय में पी/एल स्वयं उपस्थित हों। यदि स्टैंडिंग काउंसेल/पैनल वकील के प्रॉक्सी/सहायक न्यायालय में उपस्थित होंगे तो फीस का 60% देय होगा । हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सीनियर स्टैंडिंग कांउसेल/एडिशनल सीनियर स्टैंडिंग कांउसेल/सीनियर एडवोकेट (पदनामित) के लिए प्रॉक्सी उपस्थित होगा तो कोई फीस देय नहीं होगी ।

14. (क) निर्धारित संलग्न प्रोफोर्मा में स्टांप की गई रसीद प्रस्तुत करने पर काउंसेल को फीस का भुगतान किया जाएगा, और यदि वह ड्राफ्टिंग फीस हो तो ड्राफ्ट किए गए दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करने पर और यदि उपस्थिति फीस हेतु दावे का मामला हो तो जहां आवश्यक हो वहां कार्यवृत्त अथवा कार्यवाही का सार अथवा आदेश/निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने पर फीस का भुगतान किया जाएगा।

(ख) काउंसेल को उपार्जन की तारीख से तीन माह के अंदर अर्थात् सुनवाई में उपस्थित होने की तारीख से तीन माह के अंदर फीस जमा करनी होगी। लेकिन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार 3 वर्ष से अधिक के समय के लिए किसी भी फीस बिल पर विचार नहीं किया जाएगा। 3 महीने से अधिक का कोई भी विलंब सीएलए,डीडीए द्वारा विलंब में देरी के लिए माफी की शर्त पर स्वीकृत होगा।

15. यदि किसी विशिष्ट तारीखको एक से अधिक चरण पूरे होते है, तो प्रत्येक चरण (जहां स्टेजवाइज भुगतान लागू हो) का शुल्क देय होगा और जिन मामलों में केवल निपटान के समय फीस देय हो, यदि वह मामला डिफॉल्ट में खारिज/अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है, तो कुल फीस के आधे का भुगतान किया जाएगा।

16. संबधित मामलों में, प्रत्येक संबंधित मामलों (अधिकतम 9 संबंधित मामलें) के लिए मुख्य मामले के एक तिहाई की दर से फीस का भुगतान किया जाएगा। संबंधित मामलों में मुख्य मामले में केवल एक ड्राफ्टिंगफीस (जहां लागू हो) देय होगी और संबंधित मामले में कोई अलग से ड्राफ्टिंगफीस का भुगतान नहीं किया जाएगा।

17. प्रत्येक सुनवाई/चरण के लिए फीस का भुगतान उस सुनवाई/चरण के समापन के बाद और कार्यवाही या अंतिम आदेश/इंटरनेट प्रति/निरीक्षित प्रति की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

18. यदि डीडीए के अलावा ऐसे अन्य पक्षकारों के लिए डीडीए के कहने पर काउंसेलउपस्थित होता है, जिसका मामला डीडीए के मामले से असंगत नहीं है; तो वह केवल एक सेट फीस का हकदार होगा।

19. किसी अन्य कार्य के लिए, जो उस प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं आता है, पैनल के वकील को मुख्य विधि सलाहकार द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान किया जाएगा।

20. मामले को वापिस लेकर समझौते के रूप में निपटाए जाने या मध्यस्थता या अन्यथा के माध्यम से समाधान किए जानेकी स्थिति में पी/एल सुनवाई/चरण जिस पर निपटान होता है या कुल फीस का आधा; जो कोई उच्चतर हो, के लिए फीस का हकदार होगा ।

21. यदि काउंसेल की उपस्थिति आदेश की प्रति में अंकित नहीं है, तो इसे संबंधित काउंसेल द्वारा निर्धारित कोर्ट की प्रक्रिया यदि कोई हो, के माध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए/वरना संबंधित एस.एल.ओ. द्वारा सत्यापित किया गया हो।

22. उन मामलों में, जहां पिछले फीससंरचना के अनुसार आंशिक भुगतान पहले ही किया जा चुका है, नई फीस संरचना इसकी अधिसूचना/अनुमोदन के दिन से लागू होगी। पहले से किया गया भुगतान वर्तमान चरण/मामले की सुनवाई के साथ समकालिक होगा। पी/एल को उस चरण के लिए धनराशि का भुगतान किया जाएगा जिस पर मामला नई फीस संरचना के लागू होने के समय होगा। यदि काउंसेल को अधिक राशि का भुगतान किया गया है, तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा। वह अगले चरण/सुनवाई की अगली फीस का हकदार होगा।

23. उपरोक्त टिप्पणियों पर सभी लंबित बिलों का निपटान किया जाएगा, तथापि संबंधित नीतियों में यथा उल्लिखित दरें प्रासंगिक समय पर प्रचलन के अनुसार लागू होंगी। यदि 01.11.13 से लागू नीति में किसी मामले का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसका नई फीस बिल नीति में उल्लेख किया गया है, तो ऐसे मामलों में फीस नए फीस बिल संरचना में ऐसे मामलों के लिए निर्धारित फीस से वेतन वृद्धि घटक को कम करने के बाद निर्धारित की जाएगी।

24. वकील को सम्मेलन प्रभारों का दावा करने से पहले सम्मेलन में उपस्थित होने का एक प्रमाण पत्र देना होगा जिस पर डीडीए के संबंधित विभाग के अधिकारी, जो उप निदेशक कीरैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, के द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो।

25. डीडीए के लिए निर्णय लिए गए मामलों की अपील करने की उपयुक्तता के संबंध में राय के अलावा अन्य कानूनी राय के लिए फीस एक प्रभावी सुनवाई / प्रथम चरण के लिए देय है।

26. डीडीए के वकीलों द्वारा कानूनी नोटिस के लिए प्रारूपण प्रभार (ड्राफ्टिंग चार्ज) वही होंगे, जो विविध प्रभारों के लिए अधिकतम 5000/- की शर्त पर होंगे।

27. फीस बिल नीति में प्रयुक्त विभिन्न परिभाषित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

(i) **<u>प्रभावी सुनवाई</u>**: एक सुनवाई, जिसमें किसी मामले में शामिल एक या दोनों पक्षकारों को न्यायालय द्वारा सुना जाता है/ आंशिक रूप से सुना जाता है।

(ii) **<u>अप्रभावी सुनवाई</u>**: गैर-प्रभावी सुनवाई में निम्नलिखित सुनवाई शामिल होगी:

- यदि मामले का उल्लेख किया जाता है और स्थगित कर दिया जाता है अथवा जब स्थगन पर्ची को हटाकर मामले को स्थगित कर दिया जाता है।
- जब न्यायालय की कार्रवाई न हुई हो।
- जब न्यायालय छुट्टी पर हो।
- जब मामले को संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा अभिवचन पूरा करने के लिए स्थगित कर दिया जाता हो।
- जब मामले को बिना किसी सुनवाई के केवल पुन: अधिसूचित किया जाता है।
- जब जवाबी शपथपत्र, उत्तर आदि फ़ाइल करने के लिए केवल समय मांगा जाता हो।
- जब न्यायालय द्वारा केवल निर्णय दिया जाता है।
- जब मामले को उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा के लिए स्थगित कर दिया जाता है।
- जब सुनवाई के लिए समय नहीं बचा होने पर मामला स्थगित हो जाता है।
- जब मामले को किसी/ दोनों में से किसी भी पक्ष के अनुरोध पर स्थगित कर दिया जाता है।
- जब मामला सुनवाई तक नहीं पहुंचता।

(iii) **<u>विशेष काउंसेल</u>**: जब भी किसी काउंसेल को विशेष काउंसेल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे कार्य सुपुर्दगी पत्र में शामिल/उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iv) **<u>रिटेनरशिप फीस</u>**: न्यायालय की छुट्टी के महीने के लिए केवल न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के प्रमाण के अधीन देय है।

(v) **<u>सविरोध (कंटेस्टेड) मामले</u>**: एक मामले को सविरोध माना जाएगा जब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय दिया जाता है।

(vi) **<u>अविरोध (अनकंटेस्टेड) मामले</u>**: सभी वादों और अपीलों को अविरोध माना जाता है यदि इन्हें अभियोगी (प्लेनटिफ़्फ़)/अपीलकर्ता द्वारा वापस ले लिया जाता है अथवा आरंभ में ही खारिज कर दिया जाता है या अंतिम सुनवाई से पहले न्यायालय पूर्व पक्षकार द्वारा अन्यथा निर्णय लिया जाता है। 'अविरोध मामलों' में फीस अन्यथा देय फीस का एक तिहाई होगा, लेकिन यदि ऐसा मामला बाद में बहाल किया जाता है और सविरोध (कंटेस्टेड) मामले में निर्णय लिया जाता है, तो शेष दो-तिहाई फीस देय होगी।

(vii) **<u>समरूप मामले/संगत मामले</u>**: दो या दो से अधिक मामले, जिनमें कानून अथवा तथ्यों के पर्याप्त रूप से एक जैसे प्रश्न आदि शामिल हो और जहां मुख्य अंतर संबंधित पक्षों के नाम, पते, शामिल धनराशि की मात्रा आदि में है। इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए, भले ही सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की जाती है या नहीं, सामान्य या समान निर्णय दिए जाते हैं। जहां दस से अधिक समरूप मामले शामिल हैं, वहां दस मामलों का एक समूह बनाया जाए तथा प्रत्येक समूह में एक मामले को मुख्य मामला माना जाए और अन्य नौ मामलों को संगत मामलों के रूप में माना जाए।

(viii) **<u>जिला न्यायालय में मनोनीत काउंसेल</u>**: किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए प्रत्येक जिला न्यायालय में एक मनोनीत काउंसेल होगा अर्थात न्यायालय द्वारा बुलाए गए उच्चतर / वरिष्ठों की सहायता करने के लिए और ऐसे काउंसेल सीएलए द्वारा यथा निर्धारित उन पर लागू फीस के हकदार होंगे ।

28. दिल्ली के बाहर के मामलों में हाजिर होने के लिए पैनल वकीलों को देय टी.ए. / डी.ए. के लिए व्यय, श्रेणी 2 राजपत्रित अधिकारी के लिए यथा लागू फीस के समान होगा और वरिष्ठ स्टैंडिंग काउंसेल/ अपर वरिष्ठ स्टैंडिंग काउंसेल/स्टैंडिंग काउंसेल/अपर स्टैंडिंग काउंसेल को देय फीस श्रेणी 1 राजपत्रित अधिकारी (उप निदेशक के पद तक के) के लिए लागू फीस के समान होगी और यह संबंधित विभाग द्वारा एफ.आर. और एस.आर. नियमों के अनुसार देय आकस्मिक निधि की शर्त पर होगी।

29. प्रोफार्मा पार्टी: ऐसे मामले में जहां डीडीए केवल एक प्रोफार्मा पार्टी है और काउंसेल को संबंधित विभाग से कोई निदेश नहीं दिया जाता है और काउंसेल मामले में उपस्थित होना जारी रखता है, तो काउंसेल 1/3 फीस का हकदार है। यदि किसी मामले का निपटान स्वीकृति स्तर पर कर दिया जाता है, तो काउंसेल 1/3 फीस का हकदार है।

30. अधिकरणों/ आयोगों के समक्ष उपस्थित होने वाले अपर स्टैंडिंग काउंसेल और वकीलों को देय ड्राफ्टिंग चार्ज/ कॉन्फ्रेंस चार्ज और क्लर्केज/जेब खर्च वही होंगे जो दिल्ली

उच्च न्यायालय के पैनल वकीलों के मामले में लागू होते हैं और वरिष्ठ स्टैंडिंग काउंसेल और अपर वरिष्ठ स्टैंडिंग काउंसेल को देय ड्राफ्टिंग चार्ज और कॉन्फ्रेंस चार्ज दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ काउंसेल के मामलों में यथा लागू प्रभारों के समान होंगे।

31. स्टैंडिंग काउंसेल को महनताना (रिटेनरशिप) एक महीने में कम से कम 5 नए मामलों में उनकी उपस्थिति की शर्त के अधीन होगा। स्टैडिंग काउंसेल द्वारा पहली तारीख/अग्रिम याचिका पर उपस्थित होने को सुनवाई की तारीख के रूप में माना जाएगा।

32. डिक्रीटल राशि और कोर्ट फीस की राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।

33. यदि कोई पैनल वकील/काउंसेल एडिशनल स्टैंडिंग काउंसेल/स्टैंडिंग काउंसेल/एडीशनल सीनियर स्टैंडिंग काउंसेल/सीनियर स्थायी काउंसेल बन जाता है, तो पैनल वकील/काउंसेल के रूप में उसे सौंपे गए मामलों के लिए देय फीस इसी तरह के पुनः पदनाम से पहले पैनल वकील के मामले में लागू फीस के समान होगी।

34. यह फीस संशोधन उन मामलों पर लागू होगा, जिन्हें फीस संशोधन पर या उसके बाद पैनल वकील या काउंसेल को सौंपे गए हैं और संशोधन से पहले सौंपे गए मामलों पर पुरानी दरें लागू रहेंगी।

35. सभी न्यायालयों/अदालतों/ट्रिब्यूनल के लिए लागू विविध/आउट ऑफ पॉकेट व्यय की दावा राशि (प्रति पृष्ठ टाइपिंग प्रभार 21/-रू. की दर से, प्रति पृष्ठ फोटोकॉपी और प्रिंटिंग प्रभार 1.5/-रु. की दर से) यदि 2500/- रुपये से अधिक तो उसके लिए जीएसटी बिल की आवश्यकता है और 5000/- रुपये से अधिक वास्तविक खर्च का भुगतान लर्नेड मुख्य विधि सलाहकार की विधिवत मंजूरी के बाद किया जाएगा।

36. यदि स्थगन के बारे में अग्रिम नोटिस जारी किया गया है या मामले का स्थगन व्यक्तिगत कारणों से उसके अनुरोध पर किया गया है, तो काउंसेल को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

37. किसी कॉमन निर्णय या आदेश के लिए होने वाली अपीलों, रिवीजन या याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होने पर उन्हें एक मामला माना जाएगा।

38. पैनल के वकील को तीसरे, चौथे और पांचवें चरण या अंतिम/निपटान चरण के लिए शुल्क का दावा करते समय इस आशय का एक प्रमाण पत्र देना होगा कि उसने पूरे साक्ष्य की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करा दी है और साथ ही निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा संबंधित एसएलओ को उनकी राय के साथ, जिसमें भेजने की तारीख निर्दिष्ट हो, सहित पूरे मामले की फाइल वापस कर दी है।

39. यदि डीडीए द्वारा या डीडीए के विरुद्ध दिल्ली के क्षेत्राधिकार से बाहर की अदालत में मामला दायर किया जाता है, तो उस मामले में एक लोकल काउंसेल (अधिमानतः भारत संघ के पैनल पर) संघ सरकार द्वारा देय शुल्क के लिए हकदार होगा। यद्यपि, ऐसे काउंसेल को कोई रिटेनरशिप नहीं दी जाएगी।

40. यदि वकील की गलती के कारण जवाबी हलफनामा/लिखित बयान/जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो गया है, तो कोई फीस/स्टेज सुनवाई के लिए कोई फीस तब तक देय नहीं होगी जब तक कि डीडीए के अधिकार को फिर से रिवाइव नहीं कर दिया जाता है और सीए/डब्ल्यूएस/रिप्लाई विधिवत रूप से फाइल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि डीडीए के अधिकार को फिर से रिवाइव करते समय न्यायालय द्वारा कोई लागत (कॉस्ट) लगाई जाती है, तो उसे काउंसेल की फीस से काट लिया जाएगा।

41.(क) संशोधित फीस बिल नीति के तहत भुगतान का तरीका (जहां उल्लेख नहीं किया गया है), उसी तरह से होगा जैसे पुरानी पॉलिसी के तहत लागू होता है।

(ख) उपर्युक्त उल्लिखित नोट फीस बिल नीति का अभिन्न अंग होंगे और पैनल वकील

को कोई भुगतान करते समय उसी पर विचार किया जाएगा।

42. सभी पैनल वकीलों को प्रोवकील ऐप/उस समय के लिए लागू किसी अन्य कानूनी सॉफ्टवेयर पर या संबंधित एसएलओ को ई-मेल के माध्यम से उनके द्वारा अटेंड किए गए मामले की दैनिक कार्यवाही को अपडेट करना होगा, ऐसा नहीं करने पर उस सुनवाई के लिए फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा।

43. यदि स्टैंडिंग काउंसेल अधिकरणों/आयोगों/मंचों के समक्ष लिस्ट हुए किसी मामले में उपस्थित होता है, तो स्टैंडिंग काउंसेल के लिए फीस का स्वरूप वही होगा जो उच्च न्यायालय में स्थायी काउंसेल को देय होगा।

44. किसी विधिक मंच/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण की फीस के संबंध में किसी भी प्रकार के संदेह या अंतर की स्थिति में, मुख्य विधि सलाहकार द्वारा निर्धारित फीस अंतिम और बाध्यकारी होगी। वह लिखित आदेश द्वारा इस योजना में निहित किसी भी प्रावधान में छूद दे सकता है।

संकल्प

1. प्राधिकरण ने कहा कि डीडीए के स्टैंडिंग काउंसिल और पैनल अधिवक्ताओं के चयन, नियुक्ति और कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में नीति भारत सरकार और इस संबंध में अन्य विभागों के मानदंडों की जांच के बाद अलग से प्रस्तुत की जाएगी।

2. प्राधिकरण ने दिनांक 16.08.2022 की बैठक के कार्यवृत्त के तहत एजेंडा मद संख्या 34/2022 के अंतर्गत उक्त प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(विधि विभाग)
कानूनी फीस के भुगतान के लिए प्रोफार्मा

फाइल सं.

1	केस संख्या	
2	न्यायालय का नाम	
3	पार्टियों के नाम	
4	सौंपने की तिथि	
5	केस संबंधित है या नहीं	
6	सुनवाई की तिथि/(याँ) जिसके लिए फीस या अन्य प्रभारों का भुगतान किया जा रहा है	
i)	प्रभावी सुनवाई	
ii)	गैर-प्रभावी सुनवाई	
iii)	चरण- I,II,III, IV, V	
7	पैनल के वकील का नाम श्री/श्रीमती	
8	पी/एल. द्वारा दावा की गई कुल राशि	
9	इस बिल में देय के रूप में स्वीकृत राशि	
i)	फीस	
ii)	क्लर्केज	
iii)	लिखित बयान	
iv)	काउंटर हलफनामा	
v)	आवेदन/उत्तर/विविध	
vi)	हलफनामा/स्थिति रिपोर्ट	
vii)	कांफ्रेंस फीस	
viii)	कोई अन्य भुगतान/व्यय	
	कुल राशि (आंकड़ों में)	

पैनल वकील का बिल उपरोक्तानुसार भुगतान के लिए प्रमाणित और सत्यापित है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह बिल प्रभावी सुनवाई के चरणों के लिए पैनल वकीलों को भुगतान करने हेतु डीडीए द्वारा अनुमोदित फीस बिल नीति के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार तैयार किया गया है।

उपरोक्तानुसार राशि सत्यापित एवं स्वीकृत की जाती है।

संलग्नकः- पी/एल बिल

सहा. लेखाधिकारी/विधि प्रकोष्ठ वरिष्ठ लेखाधिकारी (विधि) सहा.निदे.(एफबी)/एल.ए(फीस बिल)/जे.एल.ओ.(एफबी)

वकील का नाम/फर्म

कार्यालय का पता

घर का पता

फीस बिल

कोर्ट का नामः एससी/एचसी/डीएफ/डिस्ट्रिक कोर्ट/स्टेट कमीशन/एनसी/अन्य	
केस संख्या	
फाइल संख्या	
सौंपने की तिथि (कृपया सुपुर्दगी की फोटो कॉपी संलग्न करें)	
केस का शीर्षक	
दि.वि.प्रा. की स्थिति (अपीलकर्ता अथवा प्रतिवादी)	
केस जुड़ा है अथवा नहीं (यदि जुड़ा हुआ है, तो मुख्य केस का उल्लेख करें)	
दावा की गई फीस, तिथि सहित (नोट -3 देखें)	तिथियाँ: ..... स्थिति: ..... फीस: ..... क्लर्केज: ..... व्यय: .....
कुल	(अंकों में) ..... (शब्दों में) .....

चरणों का विवरण फीस बिल संरचना में वर्णित है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त राशि दि.वि.प्रा. की एन्गेज्मेंट/फीस बिल पॉलिसी की शर्तों के अनुसार है।

पूर्व प्राप्ति (प्री. रिसीप्ट) काउन्सेल के हस्ताक्षर

फीस बिल

जमा करने/संलग्न करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. प्रोफोर्मा (1+2 प्रतियां) विधिवत् भरा हुआ हो, लेकिन पैनल वकील द्वारा **हस्ताक्षरित न हो।**
2. फीस बिल (1+1 प्रति) विधिवत् भरा हुआ हो और पैनल वकील द्वारा **हस्ताक्षरित हो**, यदि फीस बिल दावा राशि 5000/- रुपये या उससे अधिक हो, तो 1/- रु के राजस्व स्टाम्प के साथ जमा किया जाना चाहिए।
3. दि.वि.प्रा. द्वारा जारी **सुपुर्दगी पत्र** (एनट्रस्टमेंट लेटर) की प्रति।
4. समर्थक दस्तावेजों की प्रतिः
   - न्यायालय के आदेश/निर्णय की प्रति, जिसके लिए बिल का दावा किया गया है।
   - डब्ल्यूएस/सी.ए./उत्तर/आवेदन/पार्टियों के ज्ञापन और सूचक (जिसमें पृष्ठों की कुल संख्या, डायरी संख्या और फाइल करने की तिथि शामिल हो) जिसके लिए बिल का दावा किया गया है।
   - व्यय का मूल वाउचर
5. पैनल वकील, जो पहली बार फीस का दावा कर रहें हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा करने होंगेः-
   - रद्द किया गया बैंक चैक, जिसमें खाता संख्या, आई एफएससी कोड और खाता धारक का नाम शामिल हो।
   - स्व हस्ताक्षरित पैन कार्ड की प्रति
   - उपरोक्त विवरण विधिवत हस्ताक्षरित लेटर-हेड में ऊपर उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों की प्रति के साथ दिया जाना चाहिए।